

फर्द अहकाम


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

रुजीड / अशनलाल

किरम मुकदमा : दावा

मु0नं0

२७४/२१

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21.3.22	<p>पत्रावली पेश । वकील वादी उप0। प्रतिवादीगण की ओर से एड0 बनवारीलाल सेनी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र 9 नियम 7 जा0दी0 पर बहस सुनी गई। बहस के तथ्यो पर गौर किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण की तामील की जाकर न्यायालय में हाजिर नहीं आने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। प्रति0 अधिवक्ता द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पत्रावली में निर्णय के स्तर पर प्राप्त हुआ है। पत्रावली में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर कुर्रैजात भी प्राप्त किए जा चुके है। अतः इस स्टेज पर पत्रावली होने के कारण प्रार्थना पत्र 9 नियम 7 जा0दी0 खारिज की जाती है। कुर्रैजात का अवलोकन करने से अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः कुर्रैजात प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। कुर्रैजात प्रस्ताव निर्णय का भाग होंगे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	